संसद के समक्ष अभिभाषण – 19 फरवरी 1979

लोक सभा	–	छठी लोक सभा
सत्र	–	वर्ष का पहला सत्र
भारत के राष्ट्रपति	–	डॉ. एन. संजीव रेड्डी
भारत के उपराष्ट्रपति	–	श्री बी.डी. जत्ती
भारत के प्रधानमंत्री	–	श्री मोरारजी देसाई
लोक सभा अध्यक्ष	–	श्री के.एस. हेगड़े

माननीय सदस्यगण,

संसद के 1979 के इस पहले सत्र में आपका स्वागत करते हुए मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। आपके सामने काफी लम्बी-चौड़ी कार्यसूची है और मैं आपके बजट तथा विधायी कार्यक्रम के शीघ्र पूरा होने की शुभकामना करता हूं।

पिछले वर्ष हमें अभूतपूर्व बाढ़ों का सामना करना पड़ा जो वर्तमान समय में सबसे भयंकर थीं। इनमें बहुत सी जानें गईं; दूर-दूर तक फसलों को नुकसान पहुंचा और निजी और सरकारी दोनों प्रकार की सम्पत्ति का भारी नुकसान हुआ। हमारे देश के लोगों ने इस मुसीबत का जिस साहस और धैर्य से सामना किया उसकी प्रशंसा करनी होगी। राज्य सरकारों ने इन बाढ़ों से उत्पन्न हुई अति कठिन स्थिति का सामना दक्षता और शीघ्रता से किया। केन्द्रीय सरकार ने उदारतापूर्वक धनराशि तथा अन्य आवश्यक साधन देकर सहायता की। रक्षा सेवाओं और पुलिस कर्मचारियों ने भी राहत प्रदान करने में उल्लेखनीय कार्य किया और मैं यहां उन सभी की प्रशंसा करना चाहूंगा। साथ ही, मैं भारत और विदेशों में स्थित उन विभिन्न एजेंसियों और व्यक्तियों के प्रति भी व्यक्तिगत आभार प्रकट करना चाहूंगा जिन्होंने धन और साधन दोनों देकर सहायता की और कई अन्य प्रकार से सेवा कार्य किया। इतने बड़े पैमाने पर आई बाढ़ों के अनुभव के आधार पर, सरकार उन्हें नियंत्रित करने के एक सुनियोजित प्रयास की ओर विशेष ध्यान दे रही है।

पिछले वर्ष मैंने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में 1974 और 1975 में किए गए संशोधनों के निरसन का जिक्र किया था ताकि इन संसाधनों से पहले जो लोकतांत्रिक व्यवस्था थी उसकी पुन: स्थापना की जा सके। निर्वाचन प्रक्रिया को अधिक न्यायोचित बनाने और उसे हानिकर प्रभावों से मुक्त रखने के लिए निर्वाचन कानूनों और कार्यविधि में कुछ बुनियादी सुधार सरकार के विचाराधीन हैं। इस संबंध मे तैयार किए गए विस्तृत प्रस्तावों पर विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ विचार-विमर्श किया जायेगा।

यह उल्लेखनीय है कि हमारी प्रणाली ने समय-चक्र के तनावों और दबावों का सफलतापूर्वक सामना किया है। इसका बहुत कुछ श्रेय नागरिक स्वाधीनताओं की पुन:स्थापना, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के स्वतंत्र रूप से कार्य करने और मुद्रास्फीति पर नियंत्रण पाए जाने को है। 1977 से पहले के वर्षों में बहुत अधिक मुद्रास्फीति हुई और बाद में सभी मांगों का दमन किया गया। आज की बहुत-सी मांगें उस काल में दबाई गई मांगों की पूर्ति का ही प्रयास दिखाई देती हैं। यह दुर्भाग्य की बात है कि इनमें से कुछ मांगों का आधार राजनीतिक अधिक, और आर्थिक कम है।

सरकार ने लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को आपातकाल की बेड़ियों से मुक्त कराने और विधि पर आधारित शासन को पुन: स्थापित करने के प्रयास को जारी रखा है। संविधान (पैंतालीसवां संशोधन) विधेयक को संसद के दोनों सदनों ने पास कर दिया है और अब उसे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा अनुसमर्थन के लिए भेजा हुआ है। विभिन्न आयोगों ने आपातकाल की ज्यादतियों और कुछ व्यक्तियों द्वारा अपने उच्च पदों के कथित दुरुपयोग की जांच की है। उनकी रिपोर्टों पर कार्रवाई की जा रही है। आपातकाल के दौरान उच्च राजनीतिक और सरकारी पदों पर आसीन व्यक्तियों द्वारा किये गये अपराधों के सम्बंध में मुकदमे चलाने के लिए विशेष अदालतें स्थापित करने के बारे में सरकार का एक विधेयक पेश करने का विचार है। आकाशवाणी और दूरदर्शन को अधिक स्वायत्तता प्रदान करने के प्रश्न पर विचार करने के लिए जो कार्य-दल नियुक्त किया गया था उसने अपनी रिपोर्ट दे दी है। सरकार का इस विषय में जल्द-से-जल्द एक विधेयक पेश करने का विचार है।

पिछले कुछ वर्षों में राजनीतिक क्रियाकलापों का गुरुत्व केन्द्र शहरों से देहात की ओर बढ़ता रहा है। बढ़ती हुई आशाओं और आकांक्षाओं ने देहात के लोगों को आर्थिक मामलों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील बना दिया है। इस परिवर्तन के साथ-साथ सामाजिक तनाव भी बढ़े हैं। हमारे लोकतंत्र की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि हम, राजनीतिक और आर्थिक दोनों ही दृष्टियों से, इस परिवर्तन को कितने सुव्यवस्थित ढंग से संभाल पाते हैं।

पिछले वर्ष मैंने यह उल्लेख किया था कि विकास की नीति को नया रूप देकर और, खासतौर से देहाती इलाकों में, गरीबी और व्यापक बेरोजगारी की समस्याओं का

दृढ़ता से मुकाबला करके सरकार ने अपने सोचने के तरीके में दिशा-परिवर्तन किया है। सरकार की यही मूलभूत उत्कंठा छठी योजना में प्रतिबिम्बित हुई है। सरकार के इस बुनियादी दृष्टिकोण का राष्ट्रीय विकास परिषद् ने समर्थन किया है।

देश के विकास में राज्यों को जो भूमिका निभानी है उसके विचार से यह उपयुक्त ही है कि उसकी पूर्ति के लिए उन्हें वित्तीय रूप से समर्थ बनाया जाए। सातवें वित्त आयोग ने राज्यों को पर्याप्त मात्रा में वित्तीय साधन सौंपने का प्रावधान किया था। भारत सरकार ने आयोग की इन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। राष्ट्रीय विकास परिषद् ने यह निदेश दिया था कि संविधान के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए केन्द्र और राज्यों के वित्तीय संबंधों का पुनर्विलोकन किया जाए, और उसकी जांच करने के लिए उसने एक समिति नियुक्त की थी। 1978-79 में, योजना प्रक्रिया आरम्भ होने के बाद पहली बार, राज्यों के कुल योजना परिव्यय केन्द्र से अधिक रहे।

1977-78 में, उससे पिछले वर्ष के 1.4 प्रतिशत की तुलना में, राष्ट्रीय आय में लगभग 7.4 प्रतिशत (1970-71 की कीमतों के आधार पर) वृद्धि हुई। कृषि और ग्रामीण विकास को जो उच्च प्राथमिकता दी गई है उसके उत्साहवर्धक परिणाम प्राप्त होने लगे हैं। चालू वर्ष में, बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में बाढ़ों से हुई व्यापक क्षति के बावजूद, खरीफ में खाद्यान्न का उत्पादन लगभग पिछले वर्ष जितना होने की आशा है। मूंगफली, तिलहन, कपास और जूट का उत्पादन पिछले वर्ष से भी अधिक होने की संभावना है। वर्तमान रबी की फसल भी अच्छी होगी, ऐसी आशा है।

1977-78 में, 26 लाख हैक्टेयर भूमि के लिए अतिरिक्त सिंचाई क्षमता जुटाई गई जो किसी एक वर्ष में किसी भी देश द्वारा प्राप्त की गई उच्चतम उपलब्धि है। चालू वर्ष का लक्ष्य 28 लाख हैक्टेयर का है। 1977-78 में उर्वरकों की खपत में पिछले वर्ष की अपेक्षा 26 प्रतिशत वृद्धि हुई और यह रुख इस वर्ष भी कायम रखा गया है। सिंचाई और उर्वरकों की खपत के ये आंकड़े कृषि की ओर अधिकाधिक ध्यान देने की नीति की सफलता को उजागर करते हैं और इस नीति के परिणाम भी प्रत्यक्ष ही हैं।

खाद्यान्नों के रिकार्ड उत्पादन के कारण, जो पिछले वर्ष 125.6 लाख मीट्रिक टन था, खाद्य पूर्ति की स्थिति सुखद हो गई है। सभी अनाज प्रचुर मात्रा में उपलब्ध रहे हैं और उनकी कीमतें स्थिर रही हैं। उनके एक जगह से दूसरी जगह ले जाए जाने पर पाबंदियां न होने से कमी और अधिकता वाले क्षेत्रों के बीच खाद्यान्नों की कीमतों में अंतर कम हो गया है।

चीनी का उत्पादन 1977-78 में 64.7 लाख मीट्रिक टन के एक नए कीर्तिमान तक पहुंच गया, जो पिछले वर्ष के रिकार्ड से लगभग 34 प्रतिशत अधिक है। चीनी की खपत 20 प्रतिशत बढ़कर लगभग 45 लाख मीट्रिक टन हो गई। 16 अगस्त, 1978 से चीनी की कीमतों पर से नियंत्रण हटा लिया गया। उसके बाद चीनी की कीमतें और

गिरीं और जिससे उपभोक्ताओं को लाभ हुआ। गन्ना उत्पादकों के दीर्घकालीन हितों की रक्षा के लिए भी उपाय ढूंढ़ लिये गये हैं।

खाद्यान्नों और औद्योगिक क्षेत्र के बढ़े हुए उत्पादन की झलक मूल्य स्तरों के स्थिर रहने और देश भर में आवश्यक वस्तुओं और उपभोक्ता सामग्री के आसानी से उपलब्ध होने में परिलक्षित होती है। चालू वर्ष के अधिकांश भाग में थोक मूल्य-सूचकांक 2 प्रतिशत से भी कम के सीमित दायरे के भीतर रहा है। दरअसल अप्रैल-अक्तूबर, 1978 का सूचकांक 1977 के उन्हीं महीनों, जो स्वयं अपेक्षाकृत मूल्यों में यह स्थिरता मुद्रा और राजकोष संबंधी नियंत्रण, उपयुक्त मूल्य निर्धारण नीतियों, अधिक उत्पादन, खाद्य तेलों जैसी आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं के आयात द्वारा प्राप्त की गई हैं। अभी भी दालों, तिलहनों और सीमेंट जैसी कुछ वस्तुओं के मूल्य और उपलब्धता निरन्तर चिन्ता का विषय बने हुए हैं। इन वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि के लिए कार्यक्रम आरम्भ किए गए हैं।

कंट्रोल प्रणाली में ढील देने के लिए सरकार ने जो कदम उठाए हैं उनके अच्छे नतीजे सामने आ रहे हैं। खाद्यान्नों की आवाजाही पर पाबंदियां हटाने और औद्योगिक लाइसेंस स्वीकृत करने और आयात नीतियों और प्रक्रियाओं में ढील देने के लाभ उत्पादकों और उपभोक्ताओं दोनों को हुए हैं। समिति इस प्रश्न पर विचार कर रही है कि कंट्रोल प्रणाली में और कहां दखल देना संभव है।

देहात में गरीब लोगों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए 1978-79 में लिया गया एक महत्वपूर्ण कदम एक सम्पूर्ण ग्रामीण विकास कार्यक्रम आरम्भ करना था। इस नये कार्यक्रम में, देहाती इलाकों में विकास की गतिविधियों को और गहन करके गरीबी हटाने की जोरदार कोशिश की गई है। कुछ 5,004 ब्लाकों में से 2,300 ब्लाकों को गहन विकास के लिए चुना गया है। इन ब्लाकों को कमजोर वर्गों के हित की स्कीमें बनाने के लिए प्रति ब्लाक पांच लाख रुपये की विशेष सहायता दी जायेगी जो उनके सामान्य विकास कार्यक्रम पर होने वाले परिव्यय के अलावा होगी। इस अतिरिक्त सहायता से गांव के बेरोजगार और अल्प-रोजगार व्यक्तियों के लिए लाभदायक रोजगार पैदा होंगे और उनकी आय, पोषण और रहन-सहन के स्तरों में वृद्धि होगी। इससे स्थायी प्रकृति के सामुदायिक साधन उपलब्ध होंगे और गांवों का आधार मजबूत होगा। 'काम के बदले अनाज' कार्यक्रम गांवों में रोजगार दिलाने और उनके विकास में प्रमुख रूप से सहायक हुआ है। पिछले वर्ष, राज्यों के जरिये, इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 2.04 लाख मीट्रिक टन गेहूं बांटा गया तथा इस वर्ष 10 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य है। 'काम के बदले अनाज' स्कीमों के द्वारा इस वर्ष 40 करोड़ दिहाड़ी के बराबर काम उपलब्ध कराए जाने की उम्मीद है।

श्री अशोक मेहता की अध्यक्षता में एक समिति ने पंचायती राज संस्थाओं के कार्य की जांच की और ग्रामीण योजना और विकास की अधिक कारगर और विकेन्द्रीकृत प्रणाली के लिए उपाय सुझाए। इसकी रिपोर्ट पर निकट भविष्य में राज्यों के साथ विचार-विमर्श किया जाना है।

सरकार भूमि सुधार उपायों को जल्दी अमल में लाए जाने को बहुत महत्व देती है। संविधान की नवीं अनुसूची में प्रदत्त संरक्षण को सभी नये भूमि सुधार कानूनों पर लागू किया जाएगा। नवम्बर, 1978 तक भूमिहीन लोगों को 6.48 लाख हैक्टेयर भूमि बांटी गई थी। भूमि प्राप्त करने वालों में 50 प्रतिशत से अधिक लोग अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के थे। राज्य सरकारों से आग्रह किया गया है कि जो जमीन अतिशेष घोषित की जाये, उसके शीघ्र वितरण का प्रबन्ध हो। राज्य सरकारों का ध्यान भूमि-अभिलेखों को सही तरीके से रखने और उन्हें अद्यतन बनाने की आवश्यकता की ओर आकृष्ट किया गया है। सर्वेक्षण और बन्दोबस्त कार्य बड़े पैमाने पर किये जा रहे हैं और बकाया मामलों के निपटान के लिए राज्यों ने विशेष अभियान चलाए हैं।

समाज के कमजोर वर्गों, जैसे छोटे-छोटे किसानों, खेतिहर मजदूर, देहाती कारीगरों, आसामी काश्तकारों, बटाइदारों और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के लोगों को कृषि-ऋण देने पर जोर दिया गया है। 1978-79 के अंत तक कृषि-ऋण की मात्रा 2,215 करोड़ रुपये तक पहुंच जाने की उम्मीद है जबकि पिछले वर्ष यह 1,676 करोड़ रुपये थी। संस्थाओं के माध्यम से दिए जाने वाले कुल ऋण का एक तिहाई भाग समाज के कमजोर वर्ग लेते हैं।

राष्ट्रीय सहकारिता-नीति संकल्प के अनुसार, इस बात पर निगरानी रखने के लिए कदम उठाये गये हैं कि सहकारी संस्थाएं ऋण, उर्वरकों और अन्य कृषि-संबंधी जरूरतों को पूरा करें। सरकारी संस्थाएं कृषि-उत्पाद की तैयार माल के रूप में लाने और उसकी बिक्री की व्यवस्था करने का काम कर रही हैं और उन्हें मूल्य-समर्थन भी दे रही हैं। सार्वजनिक उपभोग की आवश्यक वस्तुओं को उचित मूल्य पर, खासकर देहाती इलाकों में, उपलब्ध कराने का काम बहुत सारे सहकारी बिक्री-केन्द्रों के जरिये किया जा रहा है।

विकेन्द्रीकृत ग्रामीण, लघु और कुटीर उद्योगों का विकास करके रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए सरकार देश के प्रत्येक जिले में जिला उद्योग-केन्द्र खोल रही है। अब तक ऐसे लगभग 250 केन्द्रों को मंजूरी दे दी गई है, और बाकी केन्द्रों को आगामी वर्ष में खोलने का विचार है। खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग के सहायता कार्यक्रमों को मजबूत किया गया है। एकमात्र लघु क्षेत्र में ही विकसित किए जाने के लिए आरक्षित वस्तुओं की संख्या 504 से बढ़ा कर 807 कर दी गई है और लघु और कुटीर उद्योगों को संरक्षण देने के लिए कानून बनाने का विचार है।

सरकार देहात के लोगों की न्यूनतम आवश्यकताओं से अवगत है, जैसे कि पीने का पानी, देहाती सड़कें, चिकित्सा सुविधायें (खासकर स्त्रियों के लिये), प्राथमिक और प्रौढ़ शिक्षा और बेघर लोगों के लिए मकान बनाने की जमीन और इन सबके लिये कार्यक्रमों को मंजूरी दे दी गई है। मिसाल के तौर पर, मार्च, 1981 तक 1,13,000 से अधिक समस्या-ग्रस्त गांवों की जरूरत को पिछले वर्ष पूरा किया गया और 27,000 अन्य गांवों की जरूरत को इस वर्ष पूरा किये जाने की सम्भावना है। देहाती और शहरी दोनों इलाकों में गरीब लोगों के लिए मकानों की व्यवस्था भी की जा रही है और एक बड़ी राशि देहात में मकान बनाने के लिए खासतौर से निर्धारित की जा रही है। ग्रामीण आवास-स्थल योजना के अंतर्गत 74.6 लाख भूमिहीन परिवारों को पहले ही घर बनाने के लिए जमीन दे दी गई है और अब इन परिवारों को छोटी लागत के मकान बनाने के लिए वित्तीय सहायता देने के लिए इस योजना क्षेत्र का विस्तार किया जा रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि राज्य सरकारें न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम को पूरी लगन से कार्यान्वित करेंगी।

राष्ट्रीय विकास परिषद् की सिफारिश के अनुसार और केन्द्र तथा राज्य सरकारों के अनुमोदन से, उत्पादन व वितरण की एक व्यावहारिक स्कीम तैयार की गई है। इस स्कीम में सम्मिलित उपाय के रूप में उत्पादन, प्राप्ति, भंडार, परिवहन और वितरण सभी शामिल हैं। प्रस्तावित प्रणाली का अधिकांश लाभ समाज के कमजोर वर्गों को होगा। इस स्कीम का देशव्यापी कार्यान्वयन 1 जुलाई, 1979 से शुरू होगा।

देश के उत्तर-पूर्वी भाग की परिवहन संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए छह नई रेलवे लाइनों की मंजूरी दी गई है। इनके बन जाने से उस क्षेत्र का प्रत्येक राज्य और संघ-शासित क्षेत्र रेलवे प्रणाली से जुड़ जाएगा।

सरकार ने 1978-79 में 7 से 8 प्रतिशत के बीच औद्योगिक वृद्धि की दर प्राप्त करने की दिशा में एक कार्यक्रम की घोषणा की। व्यापक बाढ़ों के बावजूद, जिनसे कोयला, इस्पात और रेल जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र गंभीर रूप से प्रभावित हुए, इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेने की संभावना है। प्रभावी परिवीक्षण से अड़चनों पर काबू पाने में सहायता मिली और अप्रैल-नवम्बर, 1978 के दौरान वृद्धि-दर लगभग 8 प्रतिशत रही। अगले वर्ष के लिए जिस लक्ष्य को अब अंतिम रूप दिया जा रहा है वह इस वर्ष की उपलब्धि से अधिक होगा। बिजली उत्पादन की कमी इस साल औद्योगिक उत्पादन में रुकावट का कारण नहीं रह गयी है क्योंकि पिछले वर्ष की अपेक्षा अब तक लगभग 13 प्रतिशत बिजली उत्पादन अधिक हुआ है। इस्पात का कुल उत्पादन भी पिछले वर्ष की अपेक्षा 6 प्रतिशत अधिक हुआ है। उर्वरकों, वाणिज्यिक वाहनों तक अल्युमिनियम का उत्पादन पिछले वर्ष के स्तर से कहीं ऊपर है। उर्वरकों तेल और गैस, इस्पात, सीमेंट, कागज, अल्युमिनियम और अन्य अलौह धातुओं जैसे कुछेक अति महत्वपूर्ण

क्षेत्रों में देश की समग्र जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकार ने पहले ही एक नीति को अंतिम रूप दे दिया है ताकि हमारे आर्थिक विकास के इन बुनियादी क्षेत्रों में हमारे देश को पहले की तरह लगातार कमियों का सामना न करना पड़े। सरकार भारतीय नौवहन उद्योग की दशा पर भी चिन्तित है। इसके महत्व को देखते हुए सरकार ने सुपात्र नौवहन कम्पनियों को सहायता प्रदान करने का निर्णय किया है ताकि वे अपनी विकट वित्तीय कठिनाइयों पर काबू पा सकें। रुग्ण उद्योगों की समस्या से सामान्य रूप से निबटने के लिए सरकार ने कुछ मार्गदर्शक सिद्धान्त बनाए हैं जिनके अनुसार, पहले अपनाई गई तदर्थ नीति के स्थान पर, रुग्ण यूनिटों का अधिग्रहण विवेकपूर्ण किया जाएगा। एक उच्चाधिकार-प्राप्त छानबीन समिति ऐसे सभी प्रस्तावों की जांच करती है और उपयुक्त कार्रवाई की सिफारिश करती है।

रोजगार के नए अवसर प्रदान करने में वस्त्र-उद्योग के महत्व को ध्यान में रखते हुए, अगस्त, 1978 में एक समेकित वस्त्र-नीति की घोषणा की गई थी जिसमें आम जनता की कपड़े की जरूरतों को पूरा करने और रोजगार के बेहतर अवसर प्रदान करने के लिए हथकरघों के विकास पर बल दिया गया है। कंट्रोल के कपड़े का वितरण-प्रबंध मजबूत कर दिया गया है और सस्ते कपड़े के उत्पादन का दायित्व मुख्यत: राष्ट्रीय वस्त्र निगम को सौंप दिया गया है। चालू वित्त वर्ष के पहले आठ महीनों में सूती धागे के उत्पादन में 9 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है, जो एक रिकॉर्ड है। इसके बावजूद, मिल-क्षेत्र में वस्त्र का उत्पादन केवल 2 प्रतिशत बढ़ा है जो इस बात की ओर संकेत करता है कि धागे के उत्पादन का पहले से अधिक भाग विकेन्द्रीकृत क्षेत्र में बढ़े हुए उत्पादन में इस्तेमाल हुआ है। नई नीति इसी उम्मीद पर आधारित थी।

इस समय संसद के समक्ष प्रस्तुत औद्योगिक संबंध विधेयक में माननीय सदस्यों को इस विधेयक पर गंभीरता और तत्परता से विचार करना चाहिए।

सरकार ने साक्षरता के प्रसार के अपने वायदे को पूरा करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। अगले पांच वर्षों में 10 करोड़ प्रौढ़ निरक्षरों को शिक्षित करने के लिए एक विराट राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया गया है। अगले 10 वर्षों में प्रारंभिक शिक्षा को सर्वसामान्य बनाने के लिए भी एक कार्यक्रम चलाया गया है। इसके साथ-साथ, शिक्षा को व्यावहारिक बनाने तथा उसे लोगों के जीवन और वातावरण के साथ जोड़ने के उद्देश्य से, सभी स्तरों पर शिक्षा की विषय-वस्तु को नया रूप देने के लिए कार्यक्रम शुरू किये गये हैं। जहां तक महिलाओं का संबंध है, प्रौढ़ महिलाओं को शैक्षिक और व्यावसायिक निपुणता प्रदान करने के लिए व्यावहारिक साक्षरता-कार्यक्रम शुरू किये जाने हैं।

संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा के संकल्प के अनुसार, 1979 को अंतर्राष्ट्रीय बाल वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। स्कूल जाने से पूर्व की आयु के बच्चों के लिए स्वास्थ्य, पोषण, रोग-प्रतिरक्षण और शिक्षण की समेकित सेवाओं में वृद्धि करने का सरकार का विचार है। ये सेवायें प्रौढ़ महिलाओं को व्यावहारिक साक्षरता प्राप्त कराने और शिशु कल्याण कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने के साथ-साथ चलेंगी। स्वयंसेवी संगठन शिशु कल्याण कार्यक्रम आरम्भ कर सकें, इस दृष्टि से एक राष्ट्रीय बाल-कोष की स्थापना की जा रही है।

कोठारी समिति और संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों के अनुसार, सरकार ने परीक्षा की एक संशोधित प्रणाली को स्वीकृति प्रदान की है जिसका उद्देश्य चयन के आधार को व्यापक बनाना है। इस प्रणाली के अंतर्गत, पहले एक स्क्रीनिंग परीक्षा होगी और उम्मीदवारों को आठवीं अनुसूची की किसी भी भाषा को परीक्षा के माध्यम के रूप में अपनाने की छूट होगी।

जनसंख्या में बेहिसाब वृद्धि देश की आर्थिक उपलब्धियों को सीमित कर देती है। सरकार परिवार नियोजन कार्यक्रम को जोरदार तरीके से चलाने के लिए कृत-संकल्प है। इस समस्या की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकारों और जनता का पूर्ण सहयोग आवश्यक है। सारे देश को छोटे परिवार का आदर्श स्वीकार करना चाहिए।

सरकार विज्ञान-नीति संकल्प, 1958 के प्रति वचनबद्ध है। 1978-83 की योजना में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्रस्तावित परिव्यय 2,491 करोड़ रुपये है, जो कि पांचवीं योजना में दी गई राशि का लगभग दुगना है। सरकार का शीघ्र ही प्रौद्योगिक नीति पर एक वक्तव्य जारी करने का विचार है।

विश्व के और देशों के साथ हमारे सम्बंधों के मामले में सरकार ने गुट-निरपेक्षता और रचनात्मक सहयोग की नीति का दृढ़तापूर्वक अनुसरण किया है। यह बहुत संतोष की बात है कि हमारी विदेश नीति अब अधिक सराही जाती है और सभी देश इसका इस दृष्टि से सम्मान करते हैं कि यह प्रादेशिक और विश्व की शांति और सुरक्षा की प्रक्रिया में योगदान दे रही है।

बड़ी शक्तियों के साथ भारत के सम्बंध गुट-निरपेक्षता के प्रति गहरी आस्था, आपसी हित और रचनात्मक सहयोग पर आधारित हैं। जून, 1978 में प्रधान मंत्री की वाशिंगटन यात्रा से भारत और संयुक्त राज्य अमरीका के बीच सम्बंध सुधरने की दिशा में प्रगति हुई है। भले ही कुछ मामलों में हमारे विचार उनके विचारों से न मिलते हों, लेकिन हमारी और अमरीका की विचारधाराओं में कई मौलिक समानतायें हैं। सोवियत संघ के साथ हमने एक दीर्घकालिक सहयोग का कार्यक्रम प्रारम्भ किया है और हमें विश्वास है कि हमारे दोनों देशों को जो अनेक सम्बन्ध-सूत्र जोड़ते हैं, वे प्रधान मंत्री श्री कोसीगिन की इस देश की आगामी यात्रा के दौरान और भी मजबूत होंगे। इसी

प्रकार प्रधान मंत्री के यूरोपीय आर्थिक समुदाय के ब्रेसेल्स स्थित मुख्यालय के दौरे से भी सौहार्द बढ़ा है। चीन के जनवादी गणराज्य के साथ हमारे सम्बंधों के सामान्य बनाने की दिशा में भी 'पंचशील' के सिद्धांतों के आधार पर कदम उठाये गए हैं। माननीय सदस्यों को विदेश मंत्री की हाल की चीन यात्रा के बारे में मालूम ही है।

चीन-वियतनाम सीमा पर अभी हाल में जो घटनाएं हुई हैं उनसे अंतर्राष्ट्रीय शांति और स्थायित्व को जो खतरा पैदा हो गया है, उससे हम गम्भीर रूप से चिन्तित हैं। लड़ाई तत्काल बंद होनी चाहिए, और पहला कदम यह हो कि चीन की फौजें वियतनाम से हट जाएं।

अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर और संयुक्त राष्ट्र संघ के सम्मेलनों में हम निरस्त्रीकरण, खासतौर से आणविक निरस्त्रीकरण पर हुए विशेष अधिवेशन में और बाद में संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा के अधिवेशनों में भी हमने परमाणु-अस्त्र स्थिति के आधार पर अन्तर्राष्ट्रीय शक्ति संरचना को कायम रखने की कोशिश के खिलाफ बराबर अभियान जारी रखा है। साथ ही हमने एक ऐसे कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की है जिसका पालन, प्रभावी अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण बनाये रखते हुए, पूर्ण निरस्त्रीकरण के लक्ष्य की ओर प्रगति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। हमारा यह दृढ़ विश्वास है कि निरस्त्रीकरण के प्रति वचनबद्धता मानव जाति को शांति, प्रगति और सद्‌बुद्धि के मार्ग पर अग्रसर करने के लिए आवश्यक है।

विकसित देशों ने जो संरक्षणवादी कदम उठाए हैं उनसे सरकार गम्भीर रूप से चिंतित है। इससे देश के निर्यात पर काफी असर पड़ा है। विकसित देशों में संरक्षणवाद की बढ़ती हुई प्रवृत्ति को देखते हुए विकासशील देशों द्वारा सामूहिक आत्मनिर्भरता की आवश्यकता पर अधिक बल दिए जाने का महत्व स्पष्ट ही है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए, सरकार ने द्विपक्षीय और बहुपक्षीय मंचों पर कई बातों में पहल की है।

पश्चिम एशिया में स्थायी और न्यायोचित शांति की तलाश अभी जारी है। अरब लोगों के न्यायोचित पक्ष का समर्थन करने की भारत की सुसंगत नीति अपरिवर्तित है, और इज़राइल द्वारा सभी अधिकृत प्रदेशों को खाली किये जाने और फिलिस्तीन के लोगों को आत्म-निर्णय तथा एक स्वतंत्र राज्य के लिए उनके अनपरिहार्य अधिकारों को पुनः प्राप्त कराने की समस्याओं के व्यापक समाधान के प्रति हम निरन्तर आशावान हैं। अरब जगत के साथ हमारे आर्थिक और प्रौद्योगिकीय सहयोग में गहरी और विस्तृत वृद्धि हुई है।

दक्षिण-पूर्व और पूर्वी एशिया और प्रशान्त महासागरीय प्रदेशों में, हमने दोस्ती के मौजूदा संबंधों को बनाये रखा है और अपने देश तथा इस प्रदेश के देशों के बीच आर्थिक और प्रौद्योगिकीय सहयोग को मजबूत करना जारी रखा है। दक्षिण-पूर्वी एशियाई राष्ट्र संघ के साथ बातचीत करने की दिशा में प्रयत्न आरम्भ किये गये हैं।

विश्व शांति और स्थायित्व को बढ़ावा देने की दिशा में हम भारत-जापान संबंधों को जो महत्व देते हैं वह विदेश मंत्रियों के स्तर पर विचार-विमर्श की वार्षिक प्रक्रिया आरम्भ किए जाने से स्पष्ट हो जाता है।

अफ्रीका के देशों के साथ हमारे द्विपक्षीय संबंध आर्थिक सहयोग में वृद्धि के जरिये और भी सुदृढ़ हुए हैं। दक्षिणी अफ्रीका की स्थिति अभी भी हमारे लिए चिंता का विषय बनी हुई है। नामीबिया और जिम्बाबवे की समस्याओं के न्यायसंगत और शांतिपूर्ण समाधान की जो उम्मीदें बंधी थीं वे जातिभेदवादी सरकारों के संदिग्ध रुखों और पैंतरेबाजियों के कारण विफल हो गईं। फिर भी, हमें इसकी पूरी आशा है कि निकट भविष्य में नामीबिया और जिम्बाबवे आजादी प्राप्त कर लेंगे। हमने दक्षिणी अफ्रीका में स्वाधीनता आन्दोलनों को नैतिक और भौतिक सहायता देना जारी रखा है।

समस्त विश्व में और खासकर अपने नजदीक के पड़ोसियों के साथ हम अपनी शांति और सहयोग की नीति का पालन तो करते ही रहेंगे, साथ ही हम निरन्तर प्रभावशाली सुरक्षा कटिबद्धता की स्थिति में रहने की आवश्यकता को भी पूरी तरह महसूस करते हैं। मुझे यह कहने में प्रसन्नता है कि हमारी रक्षा सेनाओं के मनोबल और प्रशिक्षण की स्थिति बहुत बढ़िया बनी हुई है। उनके उपस्कर को आधुनिक बनाने के प्रयत्न किये जा रहे हैं। इस कार्य में हमारे रक्षा उद्योग भूमिका निभाते हैं। उत्तरोत्तर आत्मनिर्भरता और स्वदेशीकरण उनके प्रगामी विकास के प्रमुख लक्ष्य हैं।

माननीय सदस्यगण, मैंने जो अभी कहा है वह इस आशा और विश्वास का पर्याप्त प्रमाण है कि यह देश एक न्यायसंगत सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था स्थापित करने की दिशा में आगे बढ़ता रहेगा, बशर्ते कि इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम सब मिलकर कोशिश करें। दृष्टिकोण भिन्न होते हुए भी हमें अपने उद्देश्यों में एकरूपता लाने की कोशिश करनी चाहिए। साथ ही हमें चाहिए कि न हम ऐसे काम करें, न ऐसी बात कहें और न ऐसे रवैये अपनाएं जो हमारे राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति में बाधक हों। राष्ट्रीय प्रयास की एकरूप भावना के साथ मैं इस सत्र के कार्य के लिए आह्वान करता हूं और आपकी सफलता की कामना करता हूं।

जय हिंद।